Class 11

Political science

Answer Key

1. घ - अरस्तु
2. ग - लास्की
3. घ - सभी
4. क -1948
5. ग - क और ख
6. घ - 1955
7. क - संविधान सभा
8. ख - भाग 4अ
9. क - 18 वर्ष
10. ग - नरेन्द्र मोदी
11. घ - 105
12. घ - सभी के साथ समान व्यवहार
13. 6 वर्ष
14. 42 वां संशोधन
15. 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान मे
16. 25
17. 22 भाषाएं
18. 100 विषय
19. ख
20. क

21.

A सजग नागरिक सरकार के कार्यों मे रुचि लेते है।

B वे सरकार की गलत नीतियां का विरोध करते है।

22. Aविशेष सुविधाओ का अभाव

Download from www.MsEducationTv.com

B सभी को समान अवसर

अथवा

राजनीतिक समानता

सामाजिक समानता

23. अधिकार वे सुविधाएँ हैं जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन में शिखर तक पहुँच सकता है।

अथवा

अधिकार व्यक्ति की मांग है अधिकारियों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं ।

24. सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन

भारत के अतीत का गौरव पूर्ण चित्रण

25. कानूनों के संग्रह को सुविधा नु कहते हैं देश के लिए बनाए गए नियमों को भी संविधान कहते हैं
लिखित अलिखित

26. विधायी शक्ति,वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति

27. विशेष बहुमत की आवश्यकता इसीलिए है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राजनीतिक दल मनमाने ढंग से संशोधन न कर सके ।

28. संविधान सभा के निर्माण के समय प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था।

संविधान सभा में हर प्रावधान पर गहन वाद विवाद किया तब जाकर अंतिम रूप दिया गया था।

अथवा

प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है

यह संविधान के उन स्रोतों का उल्लेख करती है जिसे संविधान को शक्ति मिलती है।

Download from www.MsEducationTv.com

1मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं।

2नागरिक को समानता प्रदान करना।

3 आंतरिक व बाहरी सुरक्षा।

अथवा

1जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

2 कानून के समक्ष

3 मान्यता हिरासत में सुरक्षा

30 किसी भी समाज के लिए बेरोजगारी एक अभिशाप है। रोजगार उपलब्ध कराये

शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय खोले जाएं। किसानों की दशा सुधारने के लिए कार्य किया जाए।

31राष्ट्रीय जनता का आकस्मिक समूह नहीं है।

राष्ट्र में लोग एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन सभी राष्ट्र का सम्मान करते हैं।

32 पश्चिमी विचार

धर्म व राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें विभिन्न पंथों में समानता समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना।

भारतीय विचार

राज्य द्वारा धार्मिक सुधार अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा व्यक्ति और धार्मिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा।

33 मूल अधिकारों का महत्त्व लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव व्यक्तिगत आजादी व कानून का शासन।

सामाजिक न्याय नींव रखते हैं ।

अथवा

मौलिक अधिकारी के पीछे कानूनों की शक्ति है।

ये भारतीयों को मिलते हैं विदेशियों को नहीं ।

Download from www.MsEducationTv.com

मौलिक अधिकारों से संशोधन किया जा सकता है।

34भारतीय संविधान में सरकार के तीनों अंगों के संतुलन व नियंत्रण स्थापित किया गया है।

संविधान में न्यायपालिका को भी विधायक के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है

यदि न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करती है तो विधायिका संविधान संशोधन द्वारा उसे निरस्त कर सकती है।

अथवा

न्यायाधीशों का वेतन व भत्तों सेवा शर्तों की रक्षा।

कार्यकाल तय किया गया। न्यायाधीशों को हटाना मुश्किल है केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

35 मजबूत केंद्र

आपातकालीन प्रावधान

एकीकृत न्यापालिका

36 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ।

आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

चुनाव के लिये समयसीमा तय की गई है।

वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान।

37

सामाजिक अधिकार समाज में समानता को मान्यता दी जानी चाहिए जाति ,धर्म ,पंथ ,अमीर गरीब के आधार पर वेदभाव ना हो ।

आर्थिक अधिकार ये वे सुविधाएँ हैं जिनके कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है।

काम का अधिकार उचित मजदूरी पाने का अधिकार आदि ।

सांस्कृतिक अधिकार नागरिको को विकास के लिए सांस्कृतिक दावों को मान्यता दी गई है मातृभाषा में शिक्षा अपनी संस्कृति की रक्षा आदि।

अथवा

Download from www.MsEducationTv.com

राजा सकता केवल अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती उसे कानूनी प्रावधान के द्वारा ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर किया जा सकता है

गिरफ़्तारी से पहले वारंट दिखाना आवश्यक है

गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करना

अपराधी को दोषमुक्त सिद्ध करने के लिए प्रावधान।

38

शरणार्थियों की समस्याएं

किन्हीं कारणों से एक देश को छोड़कर नागरिको को द्वारा दूसरे देश में शरण लेना शरणार्थी कहलाते हैं।

उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव तस्कर, सैन्य बल, भूभाग,

- शरणार्थियों को भुखमरी, निर्जलीकरण, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- शरणार्थियों को पुलिस उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है.
- वैश्विक नागरिकता के ज़रिए, शरणार्थियों को धर्म की आज़ादी, अपने देश की अदालतों तक पहुंच, और अपने क्षेत्र में आंदोलन करने की आज़ादी जैसे अधिकार मिल सकते हैं.
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने 'स्टेप विद रिफ़्यूजी' अभियान शुरू किया है. इस अभियान का मकसद शरणार्थी परिवारों को सुरक्षित रखना और उनके जुझारूपन और दृढ़ संकल्प का सम्मान करना है.
- वैश्विक नागरिकता के ज़रिए, शरणार्थियों को मेज़बान देश में पहचान और यात्रा दस्तावेज़ मिल सकते हैं.

अथवा

- आदर्श नागरिक के गुण
- अच्छा स्वास्थ्य
- ईमानदार
- परिश्रमी
- देशभक्त
- पढ़ा लिखा
- सहनशील
- अनुशासन प्रिय

Download from www.MsEducationTv.com

- भक्तिभाव
- भाईचारे की भावना मानने वाला

39

- वयस्क मताधिकार
- एक सदस्य चुनाव क्षेत्र
- स्थान का आरक्षण
- गुप्त मतदान
- निष्पक्ष चुनाव
- आयोग चुनाव
- चुनाव याचिका
- परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर
- ऐच्छिक मतदान
- नोट का प्रावधानक्ष

40

- संसद, कार्यपालिका द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर चर्चा करती है , जांच करती है, और उन पर अनुमोदन देती है.
- संसद, बजटीय प्रक्रिया के ज़रिए सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखती है.
- संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निधि आवंटन की जांच करती है.
- संसद, बजट प्रभाव के ज़रिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करती है.
- संसद के अधिवेशन के दौरान, मंत्रियों को सदस्यों के सवालों का जवाब देना होता है.
- संसद में स्थगन प्रस्ताव , अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सकता है.

अथवा

भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का है।

कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव?

Download from www.MsEducationTv.com

- भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अमेरिका की तरह नहीं है। माना जाता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की चुनाव पद्धतियों का खासा अध्ययन करने के बाद कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को इसमें शामिल किया।
- उपराष्ट्रपति को जहाँ लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, वहीं राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें लोक सभा, राज्य सभा और अलग-अलग राज्यों एवं संघराज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
- इलेक्टोरल कॉलेज में इसके सदस्यों का आनुपातित प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर उनका एकल मत हस्तानांतरित होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। इस प्रक्रिया को सिंगल वोट ट्रान्सफरेबल सिस्टम या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं।

क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति

- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। चूँकि जनता राष्ट्रपति का चयन सीधे नहीं करती है, इसलिए इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं एवं संघराज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोक सभा तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं।
- एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यातव्य हो कि भारत में 9 राज्यों में विधान परिषदें आस्तित्व में हैं लेकिन राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं।
- भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है।
- यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिये इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग-अलग होती है। इसे 'वेटेज़' भी कहा जाता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का 'वेटेज़' भी अलग-अलग होता है। यह 'वेटेज़' राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और यह 'वेटेज़' जिस तरह तय किया जाता है, उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं।

Download from www.MsEducationTv.com

Download from www.MsEducationTv.com